



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230768
CG-DL-E-27102021-230768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4124]
No. 4124]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4482(अ).—राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख श्री के. वी. कामथ को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 15/10/2021-आईएफ-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

S.O. 4482(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section 6 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Central

Government hereby appoints Shri K. V. Kamath, former Chief of New Development Bank of BRICS countries to the post of Chairperson, National Bank for Financing Infrastructure and Development, initially for a term of three years, from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 15/10/2021-IF-I]

LALIT KUMAR, Economic Adviser